



2026:AHC:175471

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 8538 सन् 2026

खलील उर्फ अब्दुल खलीक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: एहतेशाम अफसर खान

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

: जी०ए०

न्यायालय कक्ष संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए० को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 537 सन् 2026, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8, पुलिस थाना-भोजीपुरा, जनपद-बरेली में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है। कुछ पशु अवशेषों की खोज किए जाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवेचना के दौरान पुलिस मुखबिर के कथन में आवेदक का नाम सामने आया है। आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त इम्तियाज के समान आधार पर है, जिसे इस न्यायालय द्वारा धारा 482 बी० एन० एस०

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस० के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8399 सन् 2026 में जमानत प्रदान की गई है।

4. विद्वान ए० जी० ए० ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि बरामद किए गए अवशेषों की बाद में एफ० एस० एल० रिपोर्ट के अनुसार गाय या उसकी संतान के अवशेष होने के रूप में पुष्टि की गई। विवेचना के दौरान आवेदक का नाम सामने आया है और उसे अभिरक्षा में पूछताछ तथा आगे की बरामदगी के लिए आवश्यक किया जा सकता है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।
6. आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। कहा गया है कि पुलिस मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उसे वर्तमान मामले में आरोपित किया गया है। आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त इम्तियाज के समान आधार पर है, जिसे इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अनुमत** किया जाता है।
9. आवेदक **खलील उर्फ अब्दुल खलीक** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त वाद अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और एक समान राशि का प्रतिभू प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाएगा:
 - i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे;

10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

प्रशांत डी